

Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the 'Committee on Publication Ethics'

Online ISSN:2584-184X



Review Paper

भारतीय भाषाएँ और राष्ट्रीय एकता

डॉ. सुजाता मगदुम

प्राचार्या तथा हिन्दी सह-प्राध्यापिका, सरकारी पदवी महाविद्यालय, सदलगा, कर्नाटक, भारत

Corresponding Author: * डॉ. सुजाता मगदुम

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.23103911>

सारांश	Manuscript Info.
भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है, जहाँ अनेकता में एकता उसकी सांस्कृतिक विशेषता है। यह आलेख भारतीय भाषाओं और राष्ट्रीय एकता के परस्पर संबंध का विश्लेषण करता है। लेखिका ने बताया है कि भाषा केवल संप्रेषण का साधन नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और सामाजिक मूल्यों की वाहक भी होती है। आलेख में अंग्रेजों द्वारा प्रस्तुत की गई भाषा-परिवार की मिथ्या अवधारणा तथा 'आर्य-द्रविड़' सिद्धांत की समीक्षा करते हुए यह प्रतिपादित किया गया है कि भारत की समस्त भाषाएँ एक ही सांस्कृतिक धारा की शाखाएँ हैं। संस्कृत को भारतीय भाषाओं की जननी और राष्ट्रीय-सांस्कृतिक एकता की आधारशिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही पी. बी. पंडित के विचारों के माध्यम से भारतीय समाज की भाषा-अनुरक्षण की प्रवृत्ति को पाश्चात्य भाषा-विस्थापन की प्रवृत्ति से भिन्न बताया गया है। आलेख के अंत में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भाषिक विविधता के बावजूद भारत की सांस्कृतिक एकता व अखंडता अक्षुण्ण है और राष्ट्रीय एकता हेतु संतुलित भाषा-नीति तथा व्यापक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण आवश्यक है।	✓ ISSN No: 2584- 184X ✓ Received: 10-03-2025 ✓ Accepted: 26-04-2025 ✓ Published: 30-04-2025 ✓ MRR:3(4):2025;81-83 ✓ ©2025, All Rights Reserved. ✓ Peer Review Process: Yes ✓ Plagiarism Checked: Yes
	How to Cite
	मगदुम सु. भारतीय भाषाएँ और राष्ट्रीय एकता. Indian J Mod Res Rev. 2025;3(4):81-83.

कुंजी शब्द: भारतीय भाषाएँ, राष्ट्रीय एकता, बहुभाषिकता, संस्कृत, राष्ट्रभाषा, भाषा-विवाद, आर्य-द्रविड़ सिद्धांत, सांस्कृतिक एकता, भाषा नीति, अनेकता में एकता

परिचय

Retail भारत अनेकता में एकता का अद्वितीय उदाहरण है। यह एक बहुभाषी देश है। पूर्व से पश्चिम तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक संपूर्ण राष्ट्र में सैकड़ों भाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती हैं जो देश की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक हैं। भोजपुरी में एक कहावत है- 'कोस कोस पर पानी बदले, तीन कोस पर बानी' अर्थात् दो-दो मील पर पानी में बदलाव आ जाता है और छह-छह मील पर भाषा-बोली बदल जाती है। हमारा भारत वर्ष इसका जीता-जागता उदाहरण है। भारतीय भाषाएँ केवल संवाद का माध्यम नहीं हैं बल्कि हमारी परंपरा, इतिहास और सामाजिक मूल्यों की वाहक भी हैं।

**निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल
बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिय को शूल”¹**

भाषा किसी भी देश की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग होती है। यह संस्कृति की संवाहिका भी होती है। भाषा मात्र ध्वनियों, अक्षर और शब्द भंडार की व्यवस्था नहीं है अपितु यह अपने साथ अनेक विचारों को वहन कर साथ लाती है। यह मनुष्य को संसार को देखने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। उसी समाज, जाति अथवा राष्ट्र को उन्नत समझा जाता है जिसका साहित्य उच्च कोटि का होगा। साहित्य को 'समाज का दर्पण' कहा गया है। समाज के जैसे विचार होंगे भावनाएँ होंगी, उसी प्रकार का साहित्य भी होगा। बिना भाषा के माध्यम के उच्च कोटि के साहित्य का सृजन संभव नहीं है।

भारत में भाषा विवाद शुरु होने का मूल कारण अंग्रेजों की कूट नीति है। अंग्रेजों की विभाजनकारी नीति को बल देने के लिए पाश्चात्य भाषा विज्ञानियों ने भाषा परिवार की एक मिथ्या कल्पना पर आधारित

अवधारणा प्रस्तुत की। "आर्य" शब्द की व्युत्पत्ति उन्हीं की देन है। संस्कृत भाषा से उन्हें इतनी चिढ़ थी कि उसकी प्राचिनता को ही उन्होंने प्रह्लो के कटघरे में ला खड़ा कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने भारत की भाषाओं को अनेक भाषा-परिवारों से उत्पन्न बताया जबकि भारतवर्ष की सभी भाषाएं एक ही परिवार की शाखाएं हैं और इसीलिए उनके भीतर एक सांस्कृतिक भाव की स्रोतस्विनी प्रवाहित है, जो इस राष्ट्र को 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' बनाती है। भारत में आर्यों के आगमन की कृत्रिम अवधारणा भी उन्हीं की करतूत थी। उनके पास इस प्रश्न का कोई सटीक उत्तर नहीं रहा है कि भारत आने के पूर्व इन कथित आर्यों का मूल निवास कहाँ रहा और वहाँ से दो दिशाओं में बिखराव का कारण क्या रहा? वैदिक साहित्य में उस मूल स्थान की चर्चा क्यों नहीं है? वास्तव में यह बताकर कि भारत में सभी जन, द्रविड़, आर्य आदि सभी बाहर से आए हैं उन्हें यह साबित करना था कि उनका भारत आना और यहाँ बस जाना कोई विशेष समस्या नहीं है। अंग्रेजों ने इस कृत्रिम अवधारणा के आधार पर एक अज्ञात 'प्रोटो इंडो यूरोपियन' नाम की भाषा की कल्पना की और संस्कृत को 'इंडो आर्यन' नाम दे दिया।

उन्होंने संस्कृत से लेकर फारसी, ग्रीक, लैटिन, जर्मन आदि भाषाओं को कतिपय शब्द साम्य के आधार पर 'इंडो यूरोपियन' भाषा माना तथा शेष भारतीय भाषाओं को अन्य कल्पित भाषा परिवार से उत्पन्न बताने के लिए 'आर्य-द्रविड़' जैसे षड्यंत्रकारी प्रत्यय को विकसित किया। भाषा परिवार की इसी षड्यंत्रकारी अवधारणा ने कुछ राजनीतिज्ञों को अपनी रोटी सेंकने का अवसर दे दिया है। वास्तव में 'आर्य-द्रविड़' की कल्पना ही कृत्रिम थी।

इसका परिणाम स्पष्ट रूप में तब सामने आया जब देश का स्वतंत्रता आंदोलन अनेक राहों में बंट गया और उनमें एक विवाद की राह भाषाओं की भी थी। सबको स्वतंत्रता चाहिये थी साथ में अपनी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा बनानी थी। बंगालियों को अपनी तो तमिलवलों को अपनी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित देखना था बिना इसकी चिंता किए कि भारतीय जनमानस को यह कितना मंजूर होगा।

ऐतिहासिक रूप से यह ज्ञात होता है कि व्याकरण सम्मत भाषा का साहित्य में अत्यंत महत्व था। संस्कृत भारत की सांस्कृतिक भाषा है। वह भारतीय भाषाओं की जननी है। भारतीय जीवन धारा में धार्मिक, सामाजिक कार्य, अनुष्ठानों और संस्कारों की भाषा संस्कृत ही है। भारत के साहित्यिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक जीवन की पूरी व्याख्या संस्कृत भाषा के वाङ्मय में समाविष्ट है। संस्कृत ने ही एक वृहद संस्कृति का निर्माण किया और अपनी सार्वभौमिकता व विशिष्टताओं के कारण वह इंडोचीन, भारत, मध्य एशिया, तिब्बत, चीन, कोरिया जापान आदि देशों में भी प्रविष्ट एवं प्रतिष्ठित हुई। राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय एकता का शंखनाद किया। देववाणी संस्कृत साहित्य की विशालता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वैदिक साहित्य एवं संस्कृत साहित्य के आधार पर ही मैक्स मूलर और एडलबर्ट कुहन ने 'तुलनात्मक प्राचीन कथा विज्ञान' नामक विज्ञान को जन्म दिया है।

राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में भूतपूर्व उप-राष्ट्रपति श्री बी. डी. जत्ती ने संस्कृत का राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में

महत्व बताते हुए कहा था कि, "संस्कृत भाषा भारत में पुरातन विचारों की संवाहिका, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षिका है। संस्कृत भाषा के अध्ययन से राष्ट्रीय एवं भावनात्मक एकीकरण का निर्माण हो सकता है। क्योंकि यह भारतीय भाषाओं की जननी है। हमारे संस्कृत साहित्य द्वारा भारत के उत्तरी व दक्षिणी भागों में समन्वय स्थापित किया गया है। भाषा विवाद तो संस्कृत भाषा के समक्ष नगण्य हो जाता है। क्योंकि संस्कृत भाषा के शब्दों का आधिक्य दक्षिण भारत की भाषाओं में तो दृष्टिगोचर होता ही है, उत्तर भारत की समस्त भाषाओं की उत्पत्ति भी संस्कृत भाषा से हुई है।" 2

विश्व में भाषाओं की संख्या अनगिनत है और भारत जैसे विशाल देश में भाषाओं की विविधता अधिक है। भारत की विशेषता है कि विविधता में भी एकता है। यूरोप महाद्वीप में भाषाओं के आधार पर राष्ट्रों का निर्माण हुआ है यहाँ प्रत्येक राष्ट्र की अपनी भाषा है। भारत में भाषाओं का स्वरूप क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक है। भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरवपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। देशवासियों में परस्पर संपर्क व विचारों का आदान-प्रदान एक राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही होता है। मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और बिहार हिंदी भाषा-भाषी प्रदेश है। परंतु पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात के कुछ भागों में भी हिंदी का उपयोग निरंतर किया जाता है।

राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकता के निर्माण में राष्ट्रभाषा की भूमिका होती है। भारत जैसे विशाल राष्ट्र में भाषाओं की विविधतापूर्ण संस्कृति होने के कारण सभी भाषाओं का आदर व सम्मान तथा विकास किया जाना चाहिए। आधुनिक विश्व के समस्त देशों को एक दूसरे के साथ सहयोग देना चाहिए। अतः विश्व के अन्य देशों से संपर्क, विचारों का आदान-प्रदान भी वर्तमान युग की आवश्यकता है। अंतराष्ट्रीय भाषा के माध्यम से एक दूसरे के विचारों का आदान-प्रदान करने में सक्षम होते हैं। भारत की बहुभाषिकता के बावजूद भी एकता और अखंडता को कोई खतरा नहीं है। क्योंकि भारत का परस्पर शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व रहा है। मातृभाषा व प्रादेशिक भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती है। साहित्य सृजन किया जाता है परंतु हम सब की परंपराएं व संस्कृति के स्रोत एक ही हैं। भारतीय भाषाओं में परस्पर द्वेष व कटुता नहीं है।

प्रसिद्ध भाषाविद श्री पी. बी. पंडित ने अपनी पुस्तक "इंडिया एज ए सोशियो-लिंग्विस्टिक एरिया" में वैश्विक और भारतीय समाज के भाषाई व्यवहार के अंतर को बहुत सुंदर ढंग से स्पष्ट करते हुए लिखा है कि- "यूरोप अथवा अमेरिका में दूसरी पीढ़ी प्रभुत्वशाली वर्ग की भाषा के पक्ष में अपनी भाषा को त्याग देती है। भाषा विस्थापन वहाँ का प्रतिमान है और भाषा अनुरक्षण एक अपवाद। भारतीय संदर्भ में भाषा अनुरक्षण एक प्रतिमान है और भाषा विस्थापन एक अपवाद। भाषाओं का अनुरक्षण क्यों होता है इस बात से अमेरिकी समाज भाषा-शास्त्री अपनी जिज्ञासा शुरू करते हैं। जबकि भारतीय समाज भाषा-शास्त्री इस बात से अपना अध्ययन शुरू करते हैं, लोग अपनी भाषा को क्यों त्याग देते हैं?" 3 भ्रातृत्व की भावना सदियों से भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है जो आज तक अक्षुण्ण है।

राष्ट्रीय एकता बनाए रखने हेतु व्यापक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का विकास करना परम आवश्यक है। प्रांतीयता, भाषावाद, क्षेत्रवाद की भावना से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की भावना विकसित करनी चाहिए। हमारे देश

में भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन हुआ है परंतु फिर भी लोगों को एकता के सूत्र में बांधने का सबसे सशक्त साधन भी भाषा ही होती है। हमारे देश के विद्यार्थियों को भी इतना सक्षम बनाना है कि वह विभिन्नता में एकता की खोज कर सकें तथा अपने देश की सांस्कृतिक विरासत को समझकर उसका पुनर्मूल्यांकन कर सकें क्योंकि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व पर भी समाज और संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। वह किस प्रकार समाज के साधनों का उचित प्रयोग करके देश के सांस्कृतिक संरक्षण में अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं यह भी चिंतन के प्रमुख बिंदु है। सामाजिकता राष्ट्रीय एकता की प्राप्ति के लिए संबंधी एक समुचित भाषा नीति का विकास किया जाना आवश्यक है।

1. भारतेंदु ग्रंथावली - भारतेंदु हरिश्चंद्र
2. यह भाषण 14 अक्टूबर, 1978 को दिया गया था। यह "राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा सम्मेलन" का आधिकारिक उद्घाटन समारोह था, जहां उन्होंने मुख्य अतिथि और देश के तत्कालीन उप-राष्ट्रपति के रूप में शिरकत की थी।
3. "इंडिया एज ए सोशियो-लिंग्विस्टिक एरिया" भाषाविद् प्रोफेसर प्रबोध बी. पंडित द्वारा वर्ष 1972 में दी गई एक युगांतकारी अवधारणा और उनकी प्रसिद्ध कृति है। इससे पहले प्रसिद्ध भाषाविद् एमैनो ने भारत को केवल एक 'भाषाई क्षेत्र' कहा था, लेकिन पी. बी. पंडित ने इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम जोड़कर इसे 'समाज-भाषाई क्षेत्र' के रूप में परिभाषित किया।

संदर्भ सूची

1. पंडित, प्रबोध बी. (1972). India as a Sociolinguistic Area. पुणे: यूनिवर्सिटी ऑफ़ पूना।
2. ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम (1903-1928). Linguistic Survey of India. कलकत्ता: सुपरिंटेंडेंट, गवर्नमेंट प्रिंटिंग।
3. चटर्जी, सुनीति कुमार (1963). Languages and Literatures of Modern India. कलकत्ता: बंगाल पब्लिशर्स।
4. शर्मा, रामविलास (1978). भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिन्दी. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।
5. भारत का संविधान, भाग 17 (राजभाषा), अनुच्छेद 343-351। भारत सरकार।

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.